UPUN0100053020262026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– श्री रामराज–II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06491

फौजदारी मुत0 वाद सं0–11/26 (अन्तिम रिपोर्ट)

लक्ष्मी नरायन गुप्ता ––बनाम–– श्रीमती प्रीती सिंह,

अ0सं0–1795/2022,

धारा–135 भा0 वि0 अधि0,

थाना– एण्टी पावर थेफ्ट,

जिला– उन्नाव।

दि0–07.08.2026

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया। दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा देय राजस्व निर्धारण शुल्क व शमन शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिये जाने एवं अपराध शमनीय होने के आधार पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। विद्युत विभाग की ओर से आदेश पत्र पर पृष्ठांकित किया गया कि "संलग्न पत्रावली में शमन/राजस्व का भुगतान विभाग में कर दिया है। अन्तिम आख्या स्वीकार करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।"

ऐसी स्थिति में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(**रामराज–II**),
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 ऐक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4, उन्नाव।